

डिकी एंव मुकदमे ईत्दाई  
(ओ.20 रूल 6-7 जाक्वा दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 275/2025

गुरविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ

-वादी

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ

तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के  
समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू  
वकील वादी व श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रति स. 1 मिन जानिब  
मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि चक 23 ए.  
एम.पी. खाता स. 130/33 खाता गुरविन्द्र सिंह वगैरा ज.स. 2071-74 में वादी  
का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार  
राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद किया जावे। दावा की दफा 3 निम्नप्रकार से  
है:-

वादी गुरविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह का कब्जा:-

चक 23 ए.एम.पी.

110/162 30 6/.253 = 0.253 है0 आराजी

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल  
दरामद किया जावे।

निज.......... निल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्.  
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी  
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।  
वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.7.2025 को  
जारी किया गया।

JK

(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया